

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 266]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 25 अगस्त 2020—भाद्र 3, शक 1942

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 अगस्त 2020

क्र. 380-एफ-16-10-2018-बाईस-पं.-2.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्रामस्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 75 (1) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा निर्णय लिया गया है कि आवेदक कंपनी (मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेन्ट लिमिटेड) से देय स्टाम्प शुल्क का एक प्रतिशत जनपद उपकर के रूप में लिया जावे.

S. No. 380-F-16-10-2018-XXII-Pan.-2.—In context of Section 75 of the Madhya Pradesh Panchayat Raj and Gram Swaraj Act, 1993 (S. No. 1 year 1994) the State Govt. here by decided that one percent amount of the imposed stamp fees shall be taken from applicant company (M/S Ultratech cement limited).

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. आर. चौधरी, उपसचिव.